8

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. पंकज उपाध्याय **डॉ. मोहसिन उद्दीन**

DOI:https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.101-107
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) महिलाओं के लिए न केवल एक रोजगार योजना है, बल्कि यह उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह अध्ययन मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, और महिला हितैषी नवाचारों का विश्लेषण करता है। आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी दर 2019-20 में 54.78% से बढ़कर 2022-23 में 56.02% हो गई है, जो योजना में महिलाओं की निरंतर व सकारात्मक भागीदारी को दर्शाता है। दक्षिणी राज्यों में जहाँ महिला सशक्तिकरण की रणनीतियाँ बेहतर हैं, वहाँ भागीदारी दर अधिक पाई गई, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत कम रही। 'कुडुंबश्री' जैसे प्रयासों ने यह स्पष्ट किया है कि विकेंद्रीकृत एवं लिंग-संवेदनशील प्रबंधन महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बना सकते हैं। यह शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि मनरेगा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य शब्द: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महिला भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा, सतत् विकास, सामाजिक लेखा परीक्षा

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित

करना है। यह योजना, विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। मनरेगा का उद्देश्य केवल रोज़गार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि सतत् विकास, परिसंपत्ति सृजन और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना भी है। महिला भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मंच प्राप्त हो सके।

भारत में सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को 1951 में योजना प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही तैयार और लागू किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करना रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारों ने ग्रामीण विकास नीतियाँ अपनाईं, जिनका मकसद कृषि उत्पादन को बढ़ाना और साथ ही गरीबों, महिलाओं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लक्षित कल्याणकारी सहायता प्रदान करना रहा है। इन वंचित समुदायों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग (यहाँ तक कि समृद्ध राज्यों में भी), और शहरी गरीब शामिल हैं (वैद्यनाथन, 2006)।

मनरेगा को वर्ष 2005 में इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित किया जाए और ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से अब तक करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति, आत्मनिर्भरता और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है। मनरेगा महिला केंद्रित योजनाओं में अग्रणी रही है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता देने की विधिक गारंटी है (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025)।

यह अध्ययन मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। मनरेगा में कार्यरत महिलाओं को घरेलू कार्यों के साथ-साथ मजदूरी कार्यों की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जिससे उनका अवकाश समय घटता है और बच्चों की देखभाल में कठिनाई आती है। आंध्र प्रदेश की महिलाएं इन समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं, जबकि तेलंगाना में इस तरह की प्रतिक्रियाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलीं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं की घरेलू निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक मामलों में। साथ ही यह भी पाया गया कि जब महिलाएं काम पर जाती हैं, तो उनके बच्चे घरेलू कार्यों में मदद करते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और उच्च शिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआउट की संभावना बढ़ सकती है(विज एवं अन्य, 2017)।

शोध के राज्य-स्तरीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में महिलाएँ अभी भी मनरेगा का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रही हैं। इसके विपरीत, दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक पाई गई है, जिसका कारण बेहतर मानव विकास संकेतक, अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी और कुछ स्थानों पर कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की बेहतर सुविधाएँ हैं जो कि पूरे देश में अपनाई जानी चाहिए। विशेष रूप से केरल में, राज्य सरकार द्वारा समर्थित 'कुडुंबश्री' महिला स्वयं-सहायता समूहों को मनरेगा से जोड़ने के अभिनव प्रयास ने इस योजना को महिला केंद्रित बना दिया है। यह समन्वय इस बात की महत्त्वपूर्ण समझ देता है कि विकेन्द्रित प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी कैसे लिंग आधारित बाधाओं को कम कर सकती है और इसे देशभर में अपनाया जा सकता है (नारायण, 2022)।

आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह योजना आजीविका का प्रमुख स्रोत बन गई है। 2024-25 के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल श्रमिकों में से 58.1% महिलाएँ हैं, जो इस योजना में उनकी सर्वोच्च भागीदारी को रेखांकित करता है (हिन्दू, 2023)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक लैंगिक तटस्थ योजना है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार बिना किसी लैंगिक भेदभाव के मजदूरी को काम की मात्रा से जोड़ेगी। वर्तमान में, 59.28 प्रतिशत व्यक्तिगत दिवस महिला लाभार्थियों द्वारा सृजित किए गए हैं (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2023)।

मनरेगा की सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना

आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 में यह उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गड़बड़ियों और रिसाव को रोकने के लिए कार्य आरंभ होने से पहले, कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने के बाद जियो-टैगिंग की जा रही है तथा 99.9% भुगतान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, मनरेगा ने व्यक्ति-दिवस सृजन और महिलाओं की भागीदारी के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। 2019–20 में जहां 265.4 करोड़ व्यक्ति-दिवस सृजित हुए थे, वहीं 2023–24 में यह बढ़कर 309.2 करोड़ हो गए (MIS के अनुसार)। इसी अवधि में महिला भागीदारी दर 54.8% से बढ़कर 58.9% हो गई।

इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण यह भी इंगित करता है कि मनरेगा अब सतत आजीविका विविधीकरण के लिए परिसंपत्तियों के सृजन की दिशा में रूपांतरित हो गया है। इसका प्रमाण है कि व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों की हिस्सेदारी, जो 2013–14 में कुल पूर्ण कार्यों का केवल 9.6% थी, वह 2023–24 में बढ़कर 73.3% हो गई है(प्रेस सूचना ब्यूरो, 2024)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम-से-कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों। यह एक लैंगिक समभाव वाली योजना है, जो महिलाओं की भागीदारी को

बढ़ावा देती है, जैसे कि महिला और पुरुषों के लिए समान मजदूरी, महिलाओं के लिए अलग मजदूरी दर तय करना, श्रमस्थल पर शिशुगृह, बच्चों के लिए छायादार स्थान, और बाल देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एकीकृत प्रयास के तहत, महिला मेट की नियुक्ति की जा रही है, जिससे महिलाओं की भागीदारी को और प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही, योजना का उद्देश्य यह भी है कि लाभार्थियों को उनके निवास के समीप ही कार्य प्रदान किया जाए, जिससे महिलाओं, वृद्धों और अन्य सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों को सुविधा हो।

योजना के अंतर्गत श्रमस्थल पर पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार आदि सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। यदि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। इन सुविधाओं की उपलब्धता की जांच निरीक्षणों और सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इनके अभाव में शिकायत निवारण तंत्र का सहारा भी लिया जा सकता है (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2022)।

उद्देश्य

- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का आकलन करना, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर योजना के प्रभाव को समझा जा सके;
- विभिन्न राज्यों में महिला श्रमिकों की भागीदारी दर में अंतर का विश्लेषण करना और इसके सामाजिक व संस्थागत कारणों की पहचान करना; एवं
- महिला हितैषी नवाचारों (जैसे महिला मेट्स, शिशुगृह, स्वयं सहायता समूहों से समन्वय) का अध्ययन करना, जो उनकी निरंतर व प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक संरक्षण की प्रवृत्तियाँ, तथा नीति प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों, आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, तथा प्रासंगिक शोध आलेखों और पत्रिकाओं से प्राप्त आँकड़ों और दस्तावेजों का गहन विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन में प्रयुक्त आंकड़े वर्ष 2019–20 से लेकर 2023–24 तक की महिला भागीदारी दर, श्रमदिवसों की संख्या, तथा योजना से जुड़े सामाजिक लाभों पर केंद्रित हैं। तथ्यों की पुष्टि के लिए विश्वसनीय और अद्यतन सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों, नीति दस्तावेजों, तथा शोध प्रकाशनों का संदर्भ लिया गया है। डेटा को सारणी, ग्राफ़ और प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिससे निष्कर्षों की वैधता सुनिश्चित हो सके।

चर्चा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभर रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत महिलाओं की सहभागिता दर में स्थिर वृद्धि देखी गई है। नीचे दिए गए आंकड़े विभिन्न वित्तीय वर्षों में महिला भागीदारी की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं:

तालिका 8.1: पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा 2022-23 (29 जुलाई 2022 तक) के दौरान महिलाओं की भागीदारी

वित्तीय वर्ष	महिला भागीदारी दर (%)
2019-20	54.78%
2020-21	53.19%
2021-22	54.67%
2022-23	56.02%

स्रोत: https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1847394

उपरोक्त तालिका -1 से स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बनी हुई है और इसमें धीरे-धीरे सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2019-20 में महिला भागीदारी दर 54.78% थी, जो इस योजना के तहत निर्मित कुल कार्यदिवसों में महिलाओं के योगदान को दर्शाती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में यह भागीदारी दर घटकर 53.19% हो गई। यह गिरावट उस समय की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, लॉकडाउन और घरेलू दायित्वों में वृद्धि जैसे कारणों से जुड़ी हो सकती है। इसके पश्चात वर्ष 2021-22 में स्थिति में सुधार देखा गया और महिला भागीदारी दर पुनः 54.67% तक पहुँच गई, जो संकेत देता है कि महिलाएं फिर से योजना के तहत काम में सक्रिय रूप से जुड़ने लगीं। वर्ष 2022-23 के प्रारंभिक आंकड़ों (29 जुलाई 2022 तक) के अनुसार यह दर और बढ़कर 56.02% तक पहुँच गई है, जो इस योजना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और निर्भरता को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मनरेगा ग्रामीण महिलाओं के लिए न केवल आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, बल्कि यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक सशक्त उपकरण भी सिद्ध हो रहा है।

नीतिगत सुझाव

- स्थानीय महिला नेतृत्व को सुदृढ़ किया जाए 'महिला मेट्स' की संख्या में वृद्धि कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- कार्य स्थलों पर बाल देखभाल केंद्र की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- डिजिटल लेन-देन और पारदर्शिता को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी और उद्यमशीलता की जानकारी दी जाए।
- राज्यवार विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों में विशेष हस्तक्षेप किया जाए।

निष्कर्ष

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सशक्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य किया है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे उनके आत्मविश्वास, घरेलू निर्णय लेने की क्षमता, और आर्थिक स्वतंत्रता में भी इजाफा हुआ है। यद्यपि कोविड-19 के कारण कुछ समय के लिए भागीदारी में गिरावट देखी गई, परंतु नीति समर्थन और नवाचारों के चलते यह दर फिर से बढ़ी। विशेषकर महिला मेट्स, शिशुगृह सुविधा और स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय जैसे नवाचार महिलाओं की स्थायी भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी सामाजिक और संस्थागत बाधाएँ बनी हुई हैं, जिन्हें नीति-निर्माताओं को विशेष रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, श्रम में उनकी गरिमा बढ़ाने और समावेशी ग्रामीण विकास को साकार करने का माध्यम बन रहा है।

संदर्भ

- द हिन्दू (2023). महिलाओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नई ज़मीन तोड़ी।
- नारायण, एस. (2022). नई ज़मीन तोड़ना: भारत की मनरेगा में महिलाओं का रोजगार, महामारी की जीवनरेखा। *जेंडर एंड डेवलपमेंट*, 30(2–3).

  https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/13552074.2022.2071978

- प्रेस सूचना ब्यूरो ((2022a). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत महिला श्रमिक।

  https:///www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1847394

- प्रेस सूचना ब्यूरो (2022b). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत महिला कार्यबल,

  https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883533

- प्रेस सूचना ब्यूरो (2023). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में लैंगिक वेतन अंतर।

  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988269

- प्रेस सूचना ब्यूरो (2024). पिछले नौ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.63 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए गए, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी दर 2019–20 के 54.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 58.9 प्रतिशत हुई,

  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2034918

- प्रेस सूचना ब्यूरो (2025a). वर्तमान दशक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112680

- प्रेस सूचना ब्यूरो (2025b). मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार।

  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146875

- वैद्यनाथन, के. ई. (2006, 30–31 अक्टूबर). बच्चों, महिलाओं और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा: भारतीय अनुभव। शोधपत्र, यूनिसेफ सम्मेलन *बच्चों, महिलाओं और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों पर: हालिया अनुभवों का विश्लेषण*, न्यूयॉर्क।

- विज, एस. जातव, एम., बरुआ, ए., एवं भट्टार, एम. (2017). तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनरेगा में महिलाएँ, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 52(32).